सुरजाराम बनाम सुरतीधर वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
मु.क्र. - 239/2003	

पत्रावली ... वकालत पत्रावली ... /
पीठ ... /जिला ... /
बोर्ड ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 25-4-18 को पेश हो।

पत्रावली ... /
पीठ ... /
बोर्ड ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23.5.18 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष—2018

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) राज–1/2018 दिनांक ... को पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. ... प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व निर्णय ... 23-5-18 तलब हाकम ... पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों ... पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। ... अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र ~~उदयपुर~~ में दिनांक 23.5.18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होवें एवं सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।

पत्रावली RLA. NADA. 2018 कैम्प कोर्ट आबू में प्रस्तुत हुई। प्रकरण 07.9.16 से लंबित चला आ रहा है। अतः मुआयना के आधार पर निर्णय निम्न प्रकार है –

सुरजाराम आदि बनाम रामूराम पुत्र लाखे जाति अहीर वि. आदि के एक प्रा. पर आवाई निजघोसा का विरुद्ध सुरतीधर पुत्र रामलाल के पक्ष में निरोध किया कि ग्राम आदि के ख.नं. 1101, 1102, 1105 मिला 3 रकबा 5.73 है. का 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता रामदेव ने 17.7.97 को मोल

सुरजाराम बनाम मुरारीलाल वगैरह

मु.नं. - 233/2003

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	इसरा 10 के नियम 1 व 2 के तहत नगर नियोजक मुरादाबाद ने प्राप्त किये अन्तिम अनुसार रकबा वादीगण के पिता को नियमित किया गया। वादीगण मुकामात के गोद होने व नहीं होने के सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जाय कि उक्त भूमि का गैर मौरूसी रहन। मकान बाई बनाने हेतु उपयुक्त है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर वादी ने इस जमीन को इकरारनामा बनवाया अगर इसे बेचान। मकदमा अधीन सं. 1 करता है तो वादी को अपरीक्षित क्षति होगी अतः इस 1/4 हिस्से को रहन। बेचान न माने व मौका मुआयना न करने वादी आंशिक T.J. जारी हो।

प्रकरण के अधीन मुरादाबाद ने वादीगण का 1978 में रकबा होने व नियमावली के विरुद्ध में इन्तकाल किया व अर्थ के मुताबिक आदेश संशोधित है फलस्वरूप मु.नं. 60/9, वा 198/2 दिनांक 16.3.2001 को जारी किये गये आदेश, गलत रूप से राजस्व न्यायालय

सुरजाराम बनाम मुरलीधर वगैरह

मु० क्र० - 239/2009

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	में चलने योग्य नहीं है।	
	प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1.1. मुरलीधर की नाबालिग अवस्था में वर्ष 1979 में गोद लिया होना प्रकट है। बाद में इस आशय की वादिम होकर निर्णय होगा अतः (2) मुरलीधर संतुलन सं. (3) अपूरणीय क्षति की प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से साबित है।	
	मामला प्रथम दृष्टया, मुरलीधर का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदेश पक्ष में आंशिक साबित है। अतः दिनांक 08-12-2009 को क्र.सं. 1101, 1102, 1105 बिला 3 का 1/4 मुरलीधर के हिस्से के रिमांड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बरकरार की जाती है।	
	पत्रावली कैलाश कुमार द्वारा नगरा में दम की जमा राशि इकतरफा रहेगी। निर्णय आज दिनांक 23.5.18 को RLA. NAGA-2018 DISK आदि बैंच कोर्ट में मनाये आज (सुनाया गया)	

(ओ.पी. लाम्बा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर
सीकर

Scanned by CamScanner